ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां,जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्रीमति नीशा कुमारी	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री कमल किशोर	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री विजय कुमार	1-4-2014 से 31-3-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत गुलेर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रoसंo	**पैरा संo**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (लाखों में)**
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक में जमा राशियों में अन्तर	0.26
2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.10
3	8	अनुदानों का उपयोग न करना	14.67
4	10	निर्माण कार्यों हेतु सामग्री बिना निविदाओं के क्रय करना	3.83
5	11	कार्य निर्धारण के बिना भुगतान करना	3.37

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-12-2017 से 16-12-2017 तथा 1-1-2018 से 2-1-2018 तक ग्राम पंचायत गुलेर में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**

2014-1 5	3/2015	3/2015
2015-16	10/2015	11/2015
2016-17	8/2016	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/2018 दिनांक 2-1-2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्त्रोत :-ग्राम पंचायत गुलेर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	197791	76244	274035	98513	175522
2015-16	175522	90273	265795	117549	148246
2016-17	148246	29581	177827	86258	91569

(ii) **अनुदान :-**ग्राम पंचायत गुलेर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	395489	1644701	2040190	1159276	880914
2015-16	880914	1108863	1989777	1581130	408647
2016-17	408647	2209027	2617674	1150818	1466856

5 रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.26 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गुलेर द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

[वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹25916 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1 रोकड़ बही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष ₹91569

2 रोकड़ बही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹1466856

योग ₹1558425

दिनांक 31-03-2017 को बैंक खातों में जमा राशि के अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र० सं0	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	OWN SOURCES	KCCB Haripur	20021004310	95135
2	GRDAY	KCCB Haripur	50055970392	885
3	AAY/ RGAY	KCCB Haripur	5055970201	13475
4	VKVNY	KCCB Haripur	50055970278	8879
5	IAY	KCCB Haripur	50055970234	483
6	TSC/SBM	KCCB Haripur	50056896509	4267
7	IWMP	KCCB Haripur	50056896485	1445
8	3RD SFC.	KCCB Haripur	50055970347	32995
9	13TH. FC	KCCB Haripur	50055970381	245326
10	MPLAD	KCCB Haripur	50055970256	311293
11	14TH. FC	KCCB Haripur	50066291659	863339
12	WDF	KCCB Haripur	50060185737	6819
		Total		**₹1584341**

अन्तर = ₹1584341 – ₹1558425 = ₹25916

6 **बजट प्राक्कलन को निर्धारित फार्म पर तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 **पंचायत राजस्व ₹0.10 लाख की वसूली शेष :-**

पंचायत सचिव गुलेर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक

पंचायत राजस्व (गृहकर) की ₹9820 वसूली हेतु शेष थी : –

(i) गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	9820	9820	19640	9820	9820
2015-16	9820	9820	19640	9820	9820
2016-17	9820	9820	19640	9820	9820

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अत: गृहकर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹14.67 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-1**) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदानों को ₹1466856 **की राशि** उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से **भी** वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 नियमविरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में *12* अलग – अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन 12 रोकड़ बहियों बारे उचित स्पश्टीकरण सहित भविश्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

10 निर्माण कार्यों हेतु ₹3.83 लाख की सामग्री बिना निविदाओं के क्रय करना: –

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय XI में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹383307** के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया । जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का

क्रय बिना निविदाएँ प्राप्त किए किया गया था। अतः बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0 संख्या	**मास**	**मद का नाम**	**मात्रा (CUM/CUF)**	**दर (₹)**	**राशि (₹)**
5	11/2015	(i)रेत	2.5 m^3	800	2000
		(ii)बजरी	4.5 m^3	580	3825
		(iii)पत्थर	8.067 m^3	800	6886
		(iv)सीमेंट ढुलाई	25 बैग	20	500
13TH FC					
17	3/2015	(i)रेत	3.00 m^3	700	2100
		(ii)बजरी	5.425 m^3	860	4340
		(iii)पत्थर	9.304 m^3	700	6513
		(iv)सीमेंट ढुलाई	30	20	600
		(v) किराया मिक्सचर	-	-	2500
		(vi) वाटर टैंक	-	500	500
17	11/2015	(i)रेत	2.5 m^3	800	2000
		(ii)बजरी	4.524 m^3	900	4072
		(iii)पत्थर	1.535 m^3	800	1228
		(vi) शटरिंग	150 m^3	10	1500
MGNREGA					
60	11/2015	(i)रेत	13 m^3	700	2720
		(ii)बजरी	3.4 m^3	800	4072
		(iii)पत्थर	27.17 m^3	1360	36951
		(vi) शटरिंग	100 SFT	10	1000
14 Finance					
19	3/2017	सोलर लाइट	8	25000	200000
20	3/2017	सोलर लाइट	4	25000	100000

		कुल योग	**₹383307**

11 कार्य मूल्याँकन (work Assessment) के बिना ₹3.37 लाख का भुगतान:-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की कार्य मूल्याँकन (work Assessment) के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा **₹336761** का भुगतान कार्य मूल्याँकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रथा पर अविलम्ब रोक लगाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि (₹)**
IWMP			
6	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री संदीप कुमार की भूमि में	12850
7	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री संदीप कुमार की भूमि में	7200
8	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री संदीप कुमार की भूमि में	1000
MPLAD			
11	3/2015	निर्माण रास्ता कृष्ण सिंह व ध्रुव सिंह आदि बेहड़ा	2300
12	3/2015	निर्माण रास्ता कृष्ण सिंह व ध्रुव सिंह आदि बेहड़ा	1300
4	3/2017	निर्माण पक्का रास्ता श्री रविन्द्र आबादी से अजमेर के घर तक	13603
VKVNY			
4	11/2015	निर्माण रास्ता सड़क से श्रेष्ठा देवी के घर तक	10089
5	11/2015	निर्माण रास्ता सड़क से श्रेष्ठा देवी के घर तक	13211
13TH FINANCE			
16	3/2015	निर्माण रास्ता लिंक रोड श्री प्रीतम चाँद के घर से प्रकाश धीमान के घर तक	10737
17	3/2015	निर्माण रास्ता लिंक रोड श्री प्रीतम चाँद के घर से प्रकाश धीमान के घर तक	16553
16	11/2015	निर्माण नालिया श्री राज कुमार व सुरति	6896

		प्रकाश आदि बेहड़ा	
17	11/2015	निर्माण नालिया श्री राज कुमार व सुरति प्रकाश आदि बेहड़ा	6896
21	3/2017	निर्माण मुरम्मत शमशान घाट	15674
Own Sources			
28	11/2015	निर्माण रास्ता/ नालियाँ श्री प्रलोक चन्द आदि आवादी	2444
29	11/2015	मुरम्मत पंचायत भवन	16200
MGNREGA			
27	3/2015	खाता IAY श्री राजकुमार	4620
28	3/2015	खाता IAY श्रीमति रमा देवी	4620
29	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कृष्ण सिंह आदि की भूमि	13552
30	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री अंजनी प्रशाद की भूमि	3696
31	3/2015	खाता IAY श्री राज कुमार	3850
32	3/2015	खाता IAY श्रीमति रमा देवी	3850
45	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री प्रीतम सिंह	13860
46	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री बजिन्द्र सिंह	8008
47	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री मुकेश कुमार	11704
48	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री दीप चंद	4004
49	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री सुशील कुमार	11858
50	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री अंजनी प्रसाद	2710
51 to 53	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री अंजनी प्रसाद	21861
54 to 56	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री कृष्ण सिंह	19493
57 to 59	3/2015	निर्माण वाटर टैंक श्री अशोक कुमार	20861

61 to 62	3/2015	निर्माण कुआँ श्री तिलक राज की भूमि	51261

कुल योग **₹336761**

12 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखाओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविश्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1 श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा मनरेगा परियोजना के अन्तर्गत करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रौलों में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किए जाने के बावजूद भी उन्हें सवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया है जो कि उपरोक्त नियमों की स्पश्ट अवहेलना है।

2 मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया

जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

3 प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्शक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

4 मस्ट्रौल को कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका है।

5 मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

6 मस्ट्रौल जारी करने के राजिस्टर का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इसमें भुगतान राशियों का ब्यौरा दर्ज नहीं है।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख के अंकेक्षण के उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निश्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निश्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिश्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेश के निश्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निश्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2 इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त

पंचायत द्वारा निश्पादित कार्यों में कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

5 हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिश्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पश्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पश्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविश्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

15 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	खाता बहियाँ	7	29 (1)
8	मनरेगा परिसम्पत्ति रजिस्टर	-	-

17 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

18 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)170/2018 खण्ड–1–4526–4529 दिनांक 27.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत गुलेर, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881